

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, करारी	जिलाधिकारी, कौशाम्बी
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भरवारी	जिलाधिकारी, कौशाम्बी
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अजुहा	जिलाधिकारी, कौशाम्बी
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, इकौना	जिलाधिकारी, श्रावस्ती
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जोया	जिलाधिकारी, अमरोहा
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कम्पिल	जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, तुलसीपुर	जिलाधिकारी, बलरामपुर
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर	जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर	जिलाधिकारी, सुल्तानपुर
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवां बाजार	जिलाधिकारी, महाराजगंज
11	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना	जिलाधिकारी, देवरिया
12	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, तालग्राम	जिलाधिकारी, कन्नौज
13	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, केमरी	जिलाधिकारी, रामपुर
14	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, शाहबाद	जिलाधिकारी, रामपुर

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये है। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रू० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, करारी	20.00
2	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, भरवारी	20.00
3	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, अजुहा	30.00
4	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, इकौना	40.00
5	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, जोया	50.00
6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, कम्पिल	50.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, तुलसीपुर	50.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, कादीपुर	50.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, दोस्तपुर	30.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, सिसवां बाजार	75.00
11	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, रामपुर कारखाना	60.00
12	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, तालग्राम	40.00
13	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, केमरी	150.00
14	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, शाहबाद	100.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू० 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक

विष्णु


[Signature]

है।

- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भवदीय,


(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।





f

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कुसमरा	जिलाधिकारी, मैनपुरी
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, किशनी	जिलाधिकारी, मैनपुरी
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भोगांव	जिलाधिकारी, मैनपुरी
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, करहल	जिलाधिकारी, मैनपुरी
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, घिरोर	जिलाधिकारी, मैनपुरी
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बेवर	जिलाधिकारी, मैनपुरी
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, करनावल	जिलाधिकारी, मेरठ
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, किठोर	जिलाधिकारी, मेरठ
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहसूमा	जिलाधिकारी, मेरठ
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिवालखास	जिलाधिकारी, मेरठ

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक १ जनवरी, 2014


विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कुसमरा	20.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, किशनी	20.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भोगांव	20.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, करहल	20.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, घिरोर	20.00







6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, बेवर	20.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, करनावल	20.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, किठोर	40.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, बहसूमा	30.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, सिवालखास	10.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।
faom

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दरियाबाद	जिलाधिकारी, बाराबंकी
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिद्धौर	जिलाधिकारी, बाराबंकी
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सतरिख	जिलाधिकारी, बाराबंकी
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, देवा	जिलाधिकारी, बाराबंकी
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बुढाना	जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खेतासराय	जिलाधिकारी, जौनपुर
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज	जिलाधिकारी, रायबरेली
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, परसदेपुर	जिलाधिकारी, रायबरेली
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फरिहा	जिलाधिकारी, फिरोजाबाद
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, ओयल ढकवा खीरी	जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दरियाबाद	40.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिद्धौर	30.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सतरिख	50.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, देवा	40.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बुढाना	40.00





6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, खेतासराय	30.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज	20.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, परसदेपुर	20.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, फरिहा	30.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, ओयल ढकवा खीरी	40.00



2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भयदीय,

 (उमा शंकर सिंह)
 उप सचिव।


13/08/2014
संख्या /9-8-14

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नई बाजार	जिलाधिकारी, संतरविदासनगर भदोही
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सुरीयावां	जिलाधिकारी, संतरविदासनगर भदोही
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, पाली	जिलाधिकारी, हरदोई
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बेनीगंज	जिलाधिकारी, हरदोई
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अदरी	जिलाधिकारी, मऊ
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कोपागंज	जिलाधिकारी, मऊ
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जंगीपुर	जिलाधिकारी, गाजीपुर
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दिलदारनगर	जिलाधिकारी, गाजीपुर
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बिल्थरा रोड	जिलाधिकारी, बलिया
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बांसडीह	जिलाधिकारी, बलिया

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014


विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नई बाजार	30.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सुरीयावां	30.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, पाली	80.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बेनीगंज	60.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अदरी	40.00






6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कोपागंज	40.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, जंगीपुर	30.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दिलदारनगर	25.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बिल्थरा रोड	100.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बांसडीह	20.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"


कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।



14/09/2014
संख्या- /9-8-14

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कटघर लालगंज	जिलाधिकारी, आजमगढ़
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अतरौलिया	जिलाधिकारी, आजमगढ़
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, निजामाबाद	जिलाधिकारी, आजमगढ़
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बिलरियागंज	जिलाधिकारी, आजमगढ़
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सरायमीर	जिलाधिकारी, आजमगढ़
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, महाराजगंज	जिलाधिकारी, आजमगढ़
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मेहनगर	जिलाधिकारी, आजमगढ़
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, फूलपुर	जिलाधिकारी, आजमगढ़
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरदुआगंज	जिलाधिकारी, अलीगढ़
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा	जिलाधिकारी, हमीरपुर

नगर विकास अनुभाग-8


लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014


विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कटघर लालगंज	90.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अतरौलिया	40.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, निजामाबाद	20.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बिलरियागंज	20.00






5	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, सरायमीर	20.00
6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत , महाराजगंज	20.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, मेहनगर	20.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, फूलपुर	20.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, हरदुआगंज	10.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा	75.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग'-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।



प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दातागंज	जिलाधिकारी, बदायू
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, उसहेत	जिलाधिकारी, बदायू
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बजीरगंज	जिलाधिकारी, बदायू
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खेकडा	जिलाधिकारी, बागपत
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, टीकरी	जिलाधिकारी, बागपत
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, छपरौली	जिलाधिकारी, बागपत
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अमीनगर सराय	जिलाधिकारी, बागपत
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सीरसी	जिलाधिकारी, सम्भल
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, झालू	जिलाधिकारी, बिजनौर
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नरौरा	जिलाधिकारी, बुलन्दशहर

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक // जनवरी, 2014


विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, दातागंज	100.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, उसहेत	35.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बजीरगंज	115.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खेकडा	30.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, टीकरी	30.00






6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, छपरौली	30.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अमीनगर सराय	30.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सीरसी	50.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, झालू	40.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नरौरा	40.00



2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,

 (उमा शंकर सिंह)
 उप सचिव।


प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खुटार	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खुदागंज	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवन्त नगर	जिलाधिकारी, उन्नाव
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रसूलाबाद	जिलाधिकारी, उन्नाव
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, उगू	जिलाधिकारी, उन्नाव
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बीघापुर	जिलाधिकारी, उन्नाव
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, एलम	जिलाधिकारी, शामली
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अशरफपुर किछौछा	जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, चकिया	जिलाधिकारी, चन्दौली
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, घोरावल	जिलाधिकारी, सोनभद्र

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खुटार	30.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, खुदागंज	20.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवन्त नगर	40.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रसूलाबाद	40.00
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, उगू	30.00





6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बीघापुर	30.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, एलम	30.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अशरफपुर किछौछा	30.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, चकिया	40.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, घोरावल	20.00


2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू० 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवेदीय,
(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।


प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रूरा	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रसूलाबाद	जिलाधिकारी, कानपुर देहात
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नगराम	जिलाधिकारी, लखनऊ
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गोसाईगंज	जिलाधिकारी, लखनऊ
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मलिहाबाद	जिलाधिकारी, लखनऊ
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, काकोरी	जिलाधिकारी, लखनऊ
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बखशी का तालाब	जिलाधिकारी, लखनऊ
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहुआ	जिलाधिकारी, फतेहपुर

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 1/ जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी०पी०आर० उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर	40.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, सिकन्दरा	40.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रूरा	20.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, रसूलाबाद	30.00







5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, नगराम	25.00
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, गोसाईगंज	20.00
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मलिहाबाद	30.00
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, काकोरी	50.00
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बखशी का तालाब	50.00
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बहुआ	30.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिशायी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।



भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।



प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	जिलाधिकारी/जनपद
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मऊअड़मा	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भारतगंज	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, लाल गोपालगंज	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कोरावं	जिलाधिकारी, इलाहाबाद
5	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज	जिलाधिकारी, कुशीनगर
6	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कसया	जिलाधिकारी, कुशीनगर
7	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हाटा	जिलाधिकारी, कुशीनगर
8	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, बभनान	जिलाधिकारी, बस्ती
9	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरैया	जिलाधिकारी, बस्ती
10	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, हरिपुर	जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव/डी0पी0आर0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किये गये अनुरोध पत्र के साथ प्रस्ताव जो परिपक्व नहीं है और प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किये गये हैं। अतः निम्न विवरण के अनुसार इंगित धनराशि की कार्ययोजना/प्रस्ताव सम्बन्धित नगर पंचायतों के सम्मुख इंगित धनराशि की सीमा तक सक्षम स्तर/अधिशायी अभियन्ता से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 15.01.2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें -

क्रम सं०	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी निकाय का नाम	कार्ययोजना/प्रस्ताव की इंगित धनराशि (रु० लाख में)
1	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, मऊअड़मा	50.00
2	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, भारतगंज	30.00
3	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, लाल गोपालगंज	30.00
4	अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगर पंचायत, कोरावं	30.00

सिद्धा

5	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकाारी, नगर पंचायत, कप्तानगंज	50.00
6	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकाारी, नगर पंचायत, कसया	50.00
7	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकाारी, नगर पंचायत, हाटा	40.00
8	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकाारी, नगर पंचायत, बभनान	47.00
9	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकाारी, नगर पंचायत, हरैया	50.00
10	अध्यक्ष/अधिकाारी अधिकाारी, नगर पंचायत, हरिपुर	30.00

2- कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने में निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक है -

- (1) आदर्श नगर योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यदि सम्बन्धित नगर पंचायतों को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में धनराशि स्वीकृत हुयी हो तो पूर्व में स्वीकृत धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।
- (2) यदि नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी हो तो आदर्श नगर योजना की गाइड लाइन्स के अन्तर्गत लगभग 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किये जाने की सूचना तथा सम्बन्धित निकाय को पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कराकर प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया जाय।
- (3) कार्ययोजना/प्रस्ताव तैयार करते समय वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04.04.2008 की व्यवस्थानुसार रू0 40.00 लाख तक के आगणन का अधिकाारी अभियन्ता/सक्षम स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव/कार्य नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
- (5) निकाय द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के साथ निम्न प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न किया जाना आवश्यक होगा:-

" प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से अच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।"

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता एवं समयबद्धता प्रदान की जाय।

भारतीय,

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

